

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## मांग संख्या 11

## वाणिज्य विभाग

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	1652.28	3434.78	5087.06	1323.65	3666.36	4990.01	1787.15	2400.00	4187.15	2200.00	2062.80	4262.80
पूँजी	<b>374.21</b>	...	374.21	101.50	...	101.50	151.50	...	151.50	100.00	...	100.00
जोड़	<b>2026.49</b>	<b>3434.78</b>	<b>5461.27</b>	<b>1425.15</b>	<b>3666.36</b>	<b>5091.51</b>	<b>1938.65</b>	<b>2400.00</b>	<b>4338.65</b>	<b>2300.00</b>	<b>2062.80</b>	<b>4362.80</b>
<b>ब.अ. 2016-2017</b>												
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	82.27	82.27
2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	7.00	...	7.00
	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	73.00	1.00	74.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	1.00	81.00
3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	85.00	5.00	90.00
4. रबर बोर्ड	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	49.00	47.75	96.75
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	36.00	...	36.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85.00	47.75	132.75
5. मसाला बोर्ड	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	51.00	10.35	61.35
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60.00	10.35	70.35
6. कॉफी बोर्ड	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	61.00	46.54	107.54
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	14.00	...	14.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	46.54	121.54
7. चाय बोर्ड	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	16.00	49.98	65.98
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	64.00	...	64.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	49.98	129.98
8. स्वायत्त संस्थानों को सहायता												
8.01 भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
8.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
8.03 निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- स्वायत्त संस्थानों को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.00	...	28.00
9. निर्यात संबर्द्धन स्कीमें												
9.01 निर्यात ऋण गारंटी सहयोग में निवेश	5465	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
9.02 बाजार अभिगम्यता पहल	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
9.03 राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	400.00	...	400.00
9.04 रत्न और आभूषण क्षेत्र	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
9.05 चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्षेत्र	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
9.06 काजू निर्यात संबर्द्धन स्कीमें	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
जोड़- निर्यात संबर्द्धन स्कीमें										725.00	...	725.00
10. निर्यात अवसरचना के विकास और अन्य संबर्द्धन क्रियाकलापों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता	5453	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
11. डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
12. विदेशी व्यापार महानिदेशक	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	6.00	119.61	125.61
13. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	36.15	41.15
14. आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय	2057	...	...	...	...	...	...	...	...	15.00	117.24	132.24
15. निर्यात संबर्द्धन और बाजार विकास संगठन	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	50.00
16. शुल्क प्रति अदायगी सीएसटी	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1200.00	1200.00
17. मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
18. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36.00	36.00
19. व्यापार आयुक्त	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	176.12	176.12
20. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	5.00
21. विशेष आर्थिक जोनों को सहायता	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	66.23	66.23
22. अन्य	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.60	1.60
23. व्याज साम्यकरण स्कीम	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
24. व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.95	11.95
<b>सं.अ. 2015-2016</b>												
25. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.87	67.14	70.01	2.15	72.94	75.09	3.15	69.57	72.72	...	...
<b>विदेश व्यापार और निर्यात संबर्द्धन</b>												
26. व्यापार आयुक्त	3453	...	146.35	146.35	...	169.99	169.99	...	155.50	155.50	...	...
27. विदेश व्यापार महानिदेशक	3453	0.81	99.50	100.31	4.97	112.03	117.00	5.47	103.75	109.22	...	...
28. निर्यात संबर्द्धन और बाजार विकास के लिए सहायता												
28.01 निर्यात सन्सिडी	3453	...	1205.81	1205.81	...	1209.93	1209.93	...	1208.83	1208.83	...	...
28.02 बैंकों को व्याज सन्सिडी	3453	...	1426.99	1426.99	...	1625.00	1625.00	...	400.00	400.00	...	...

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
28.03	निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान	3453	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	...	...
	जोड़- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता		...	2682.80	2682.80	...	2884.93	2884.93	...	1658.83	1658.83	...	...	...
29.	मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास													
29.01	कांडला-एसईजेड	3453	...	8.90	8.90	...	10.40	10.40	...	9.50	9.50	...	...	...
29.02	इलेक्ट्रोनिक्स (एसईईपीजेड)-एसईजेड	3453	...	7.63	7.63	...	8.45	8.45	...	9.35	9.35	...	...	...
29.03	फाल्टा	3453	...	4.07	4.07	...	5.24	5.24	...	4.69	4.69	...	...	...
29.04	चेन्नई	3453	...	7.46	7.46	...	8.25	8.25	...	8.03	8.03	...	...	...
29.05	कोचीन-एसईजेड	3453	...	7.40	7.40	...	6.38	6.38	...	8.09	8.09	...	...	...
29.06	नोएडा	3453	...	7.12	7.12	...	9.27	9.27	...	8.17	8.17	...	...	...
29.07	विशाखापत्तनम	3453	...	7.19	7.19	...	7.74	7.74	...	7.40	7.40	...	...	...
29.08	इंदौर-एसईजेड	3453	...	1.52	1.52	...	1.84	1.84	...	1.78	1.78	...	...	...
29.09	जयपुर-एसईजेड	3453	...	0.64	0.64	...	0.67	0.67	...	0.67	0.67	...	...	...
29.10	मनीकंचन-एसईजेड (कोलकाता)	3453	...	0.57	0.57	...	0.83	0.83	...	0.75	0.75	...	...	...
29.11	मुरादाबाद-एसईजेड	3453	...	0.36	0.36	...	0.48	0.48	...	0.50	0.50	...	...	...
29.12	महा-मुम्बई-एसईजेड	3453	...	0.25	0.25	...	0.58	0.58	...	0.27	0.27	...	...	...
29.13	जोधपुर-एसईजेड	3453	...	0.13	0.13	...	0.54	0.54	...	...	...	...	...	...
29.14	सूरत-एसईजेड	3453	...	0.72	0.72	...	0.81	0.81	...	0.96	0.96	...	...	...
29.15	ईसीजीसी में निवेश	5465	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	...	...	...
29.16	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	3453	130.00	...	130.00	200.00	...	200.00	575.00	...	575.00	...	...	...
	जोड़- मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास		230.00	53.96	283.96	250.00	61.48	311.48	675.00	60.16	735.16	...	...	...
30.	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	130.00	1.00	131.00	112.00	1.00	113.00	112.00	1.00	113.00	...	...	...
31.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	105.00	7.98	112.98	115.00	5.00	120.00	130.00	5.00	135.00	...	...	...
32.	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं													
32.01	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	2.32	38.39	40.71	1.50	34.55	36.05	3.50	32.15	35.65	...	...	...
32.02	निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण													
32.02.01	निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	6.64	...	6.64	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...
32.02.02	बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	199.99	...	199.99	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00	...	...	...
32.02.03	डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	3453	8.00	...	8.00	16.52	...	16.52	16.52	...	16.52	...	...	...
32.02.04	संस्थाओं को सहायता	3453	46.57	...	46.57	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00	...	...	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
32.02.05 आधुनिकीकरण और उन्नयन	3453	6.21	...	6.21	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	...	...
	5453	1.54	...	1.54	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...
	जोड़	7.75	...	7.75	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	...	...
जोड़- निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण		268.95	...	268.95	275.52	...	275.52	330.52	...	330.52	...	...
32.03 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	3453	...	25.80	25.80	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	...
32.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	2.27	2.27	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	...
32.05 निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	5453	110.00	...	110.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	...	...
32.06 रत्न एवं आभूषण क्षेत्र												
32.06.01 मुम्बई में सम्मेलन केन्द्र	3453	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
32.06.02 साधारण सुविधा केन्द्र	3453	...	...	...	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	...	...
32.06.03 जयपुर में रत्न सराफा	3453	...	...	...	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	...	...
32.06.04 मुम्बई में रत्न एवं आभूषण पार्क	3453	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
32.06.05 आभूषण क्षेत्र	3453	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...
जोड़- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र		...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...
32.07 चर्म एवं चर्म उत्पाद क्षेत्र												
32.07.01 एफडीडीआई की नई शाखाएँ	3453	...	...	...	99.98	...	99.98	109.98	...	109.98	...	...
	5453	180.00	...	180.00	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	180.00	...	180.00	99.98	...	99.98	109.98	...	109.98	...	...
32.07.02 नेटवर्किंग केन्द्र (एफडीडीआई सीएनसी)	3453	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
	5453	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
	जोड़	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
32.07.03 चमड़ा क्षेत्र के निगमीकरण हेतु उद्यम पूंजी निधि का सृजन- बीजनिधि का सृजन	3453	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
	5453	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
जोड़- चर्म एवं चर्म उत्पाद क्षेत्र		181.00	...	181.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00	...	...
32.08 फार्मा क्षेत्र-जैवसमान/जैवतुल्य अध्ययन	3453	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
32.09 व्यापार संबंधी उपचार तथा व्यापार संबंधी रक्षा	3453	...	12.97	12.97	...	11.85	11.85	...	11.20	11.20	...	...
32.10 अन्य	3453	...	1.44	1.44	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं	562.27	80.87	643.14	428.03	91.50	519.53	495.03	88.45	583.48	...	...	...
<b>जोड़-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन बागान</b>	<b>1028.08</b>	<b>3072.46</b>	<b>4100.54</b>	<b>910.00</b>	<b>3325.93</b>	<b>4235.93</b>	<b>1417.50</b>	<b>2072.69</b>	<b>3490.19</b>	...	...	...
33. सामग्री बोर्ड												
33.01 चाय बोर्ड												
33.01.01 कार्यक्रम संघटक	2407	127.49	47.09	174.58	61.00	49.98	110.98	61.00	49.98	110.98	...	...
33.01.02 छोटे उत्पादकों के लिए विकास योजना	2407	1.66	...	1.66	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...
33.01.03 चाय अधिनियम की नियामक प्रावधान सहित ई - नीलामी और संबद्ध गतिविधियों का कार्यान्वयन	2407	0.33	...	0.33	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...
जोड़- चाय बोर्ड		129.48	47.09	176.57	67.00	49.98	116.98	67.00	49.98	116.98	...	...
33.02 रबड़ बोर्ड												
33.02.01 कार्यक्रम घटक	2407	150.00	58.50	208.50	113.99	47.75	161.74	113.99	47.75	161.74	...	...
33.02.02 सांख्यिकीय तथा सूचना सेवाएं तथा ई-गवर्नेंस	2407	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
जोड़- रबड़ बोर्ड		150.00	58.50	208.50	114.00	47.75	161.75	114.00	47.75	161.75	...	...
33.03 कॉफी बोर्ड	2407	95.51	65.00	160.51	90.00	46.54	136.54	90.00	46.54	136.54	...	...
33.04 मसाला बोर्ड	2407	95.00	15.00	110.00	85.00	10.35	95.35	85.00	10.35	95.35	...	...
33.05 काजू निर्यात संवर्धन परिषद	2407	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...
जोड़- सामग्री बोर्ड		473.99	185.59	659.58	360.00	154.62	514.62	360.00	154.62	514.62	...	...
<b>बागानों की अन्य योजनाएं</b>												
34. बागानों की अन्य योजनाएं												
34.01 मूल्य स्थिरीकरण निधि	2407	...	...	...	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	...
34.02 पीएसएफ न्यास को भुगतान मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना												
34.02.01 को	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34.02.02 से	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- बागानों की अन्य योजनाएं		...	...	...	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	...
<b>जोड़-बागान</b>		<b>473.99</b>	<b>185.59</b>	<b>659.58</b>	<b>360.00</b>	<b>154.72</b>	<b>514.72</b>	<b>360.00</b>	<b>154.72</b>	<b>514.72</b>	...	...
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान												
35.01 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीईडीए)	2552	...	...	...	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
35.02 चाय बोर्ड	2552	...	...	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	...	...	...	
35.03 रबड़ बोर्ड	2552	...	...	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	...	...	...	
35.04 कॉफी बोर्ड	2552	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	...	...	...	
35.05 मसाला बोर्ड	2552	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...	
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान		...	...	143.00	...	143.00	143.00	...	143.00	...	...	...	
36. आपूर्ति और निपटान													
36.01 डीजीएस एंड डी	2057	...	123.71	123.71	...	112.77	112.77	...	103.02	103.02	...	...	
36.02 डीजीएस एंड डी में कम्प्यूटरी	2057	13.24	...	13.24	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	...	...	
जोड़- आपूर्ति और निपटान		13.24	123.71	136.95	10.00	112.77	122.77	15.00	103.02	118.02	...	...	
37. वास्तविक वसूलियां	2407	-28.16	-3.38	-31.54	...	...	...	...	...	...	...	...	
	3453	-10.04	-10.74	-20.78	...	...	...	...	...	...	...	...	
	5453	-18.33	...	-18.33	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़		-56.53	-14.12	-70.65	...	...	...	...	...	...	...	...	
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र योजना													
38. निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	3601	564.84	...	564.84	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़		564.84	...	564.84	...	...	...	...	...	...	...	...	
कुल जोड़		2026.49	3434.78	5461.27	1425.15	3666.36	5091.51	1938.65	2400.00	4338.65	2300.00	2062.80	4362.80
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13453	...	...	...	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
जोड़		...	...	...	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	2.87	...	2.87	2.15	...	2.15	3.15	...	3.15	...	...	
2. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	999.71	...	999.71	910.00	...	910.00	1417.50	...	1417.50	1974.00	...	1974.00
3. वृक्षारोपण	12407	445.83	...	445.83	360.00	...	360.00	360.00	...	360.00	181.00	...	181.00
4. पूर्ति तथा निपटान	32057	13.24	...	13.24	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
		आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	143.00	...	143.00	143.00	...	143.00	130.00	...	130.00
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>1461.65</b>	...	<b>1461.65</b>	<b>1425.15</b>	...	<b>1425.15</b>	<b>1938.65</b>	...	<b>1938.65</b>	<b>2300.00</b>	...	<b>2300.00</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. निर्यात अवसंरचना एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता	43601	564.84	...	564.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>564.84</b>	...	<b>564.84</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>		<b>2026.49</b>	...	<b>2026.49</b>	<b>1425.15</b>	...	<b>1425.15</b>	<b>1938.65</b>	...	<b>1938.65</b>	<b>2300.00</b>	...	<b>2300.00</b>

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपीडा):** एपीडीए की स्थापना 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह प्रावधान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों के विकास एवं संवर्धन हेतु एपीडीए को भुगतान करने के लिए है।

3. **समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एम्पीडा):** एम्पीडीए की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और वह निर्यातों, अपतटीय एवं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमन तथा मत्स्यन जलपोतों, प्रसंस्करण संयंत्रों, निर्यातकों के पंजीकरण के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए जिम्मेवार है। यह प्रावधान एम्पीडीए के प्रशासनिक, विकास और संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के लिए है।

4. **पण्य बोर्ड:** यह प्रावधान चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड, काजू निर्यात संवर्धन परिषद् के लिए किया गया है।

9.01. **निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में निवेश ::** ईसीजीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

9.03. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते से ऐसी परियोजनाओं एवं अन्य उच्च मूल्य वाले निर्यातों के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से वांछनीय हैं।

10,13,18 & 20. **विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं:** इसमें वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, निर्यात अवसंरचना विकास एवं अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, चर्म एवं चर्म उत्पाद क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र एवं अन्य शामिल हैं।

15 & 16. **निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास हेतु सहायता:** यह प्रावधान माने गए निर्यात संबंधी लाभों (शुल्क प्राप्ति अदायगी तथा अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थानों को "फोकस एल ए सी", "फोकस अफ्रीका", "फोकस आसियान 2" तथा "फोकस सीआईएस" कार्यक्रमों आदि जैसी विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों का भुगतान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान व्याज सहायता योजना के जरिए व्यय को पूरा करने के लिए भी किए गए है।

12. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** योजना प्रावधान निर्यात बंधु स्कीम, प्रशिक्षण निर्माण तथा कार्यालय/आवासीय भवन स्कीम के लिए है। योजना -भिन्न प्रावधान प्रशासनिक व्यय के लिए है। इस निदेशालय का दायित्व निर्यातों के संवर्धन हेतु विदेश व्यापार नीति कार्यान्वित करना है।

14. **पूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएंडडी):** यह निदेशालय सामान्य प्रयोक्ता मदों के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करने, भंडारों निरीक्षण, पोत लदान और यह प्रावधान राज्य योजना के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के लिए किया गया है। निकासी के लिए है। यह प्रावधान पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है।

17. **बागान की अन्य योजनाएं:** बागान की अन्य योजनाओं के तहत यह प्रावधान मूल्य स्थिरीकरण निधि, पीएसएफ ट्रस्ट मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना को भुगतान एवं चाय क्षेत्र विकास निधि तथा चाय बोर्ड को भुगतान के लिए किया गया है।

19. **व्यापार आयुक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यक्रमों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

21. **मुक्त व्यापार/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का विकास:** यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातान्मुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है।

23. **पूर्व और पश्च शिपमेंट रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज साम्यकरण स्कीम:** सरकार ने यह स्कीम 5 वर्ष के लिए 01.04.2015 को प्रारंभ की है। यह स्कीम 416 टैरिफ लाइनों (4 अंक के आईटीसी (एचएस) कोड पर) के तहत सभी निर्यातों और सभी आईरटीसी (एचएस) कोटों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा किए गए निर्यातों के लिए उपलब्ध है। यह स्कीम हमारे निर्यातकों को बहनीय ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा प्रदान करती है।